न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 55/2025 बउनवानी हीरानन्द मीना बनाम उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी ग्राम व पोस्ट सूरवाल, तहसील सवाईमाधोपुर 322027

GCMS No-2025/ 164 **Appeal Number-321690010661534**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 8.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*ग्राम सूरवाल खाता संख्या 371 सूरवाल ए के ख0न0 35,404,973,972,971, 970,969, 910,62,525,490 एवं बी ख0न0 864,863,655,386,385,240,133 को लेकर कुल 15 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना* "उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया थां किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारितं समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1104 दिनांक 7.7.2025 से अवगत करवाया कि चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर को जरिये पत्रांक 280 दिनांक 13.5.2025 से अन्तरित कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/87 दिनांक 19.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक अथवा समस्याऐ बतायी गयी है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नो का उत्तर दिया जानां, सूचना सृजित कर देना एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक नही है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:46 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner